पुस्तक समीक्षा

शिवलाल हायर सेकेण्ड्री समाजशास्त्र कक्षा 12 वीं की पुस्तक द्वारा भारतीय समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं से छात्रों का परिचय सरल एवं बोधगम्य शब्दों में कराया गया है । पुस्तक में लिए गए विषयों को भारतीय समाज और संस्कृति के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया गया है । भाषा की सरलता से छात्रों के लिए विषय अधिक रूचिकर होगा ।

पुस्तक में पाठ् के उपरांत प्रश्नों की विविधता छात्रों के लिए परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी होगी एवं शिक्षकों के लिए भी सहायक है ।

पुस्तक का निर्माण माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया गया है । विभिन्न समाजशास्त्रियों के नामों को एवं पुस्तक में प्रयोग में लिए गए समाज शास्त्रीय पदों को अंग्रेजी में भी दिया जाए तो पुस्तक और बेहतर होगी ।

प्रस्तावना

समाजशास्त्र विषय के शिक्षण को सरल, बोधागम्य बनाने के लिए निर्धारित पाठ्य सामग्री की विभिन्न इकाईयों से वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आदर्श प्रश्न–पत्र तथा उन्हीं प्रश्नों के आदर्श उत्तर विद्यार्थियों की सहायता हेतु तैयार किया गया है ।

आदर्श प्रश्न–पत्र तथा आदर्श उत्तर की सहायता से विद्यार्थी (छात्र) परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रकार एवं उनके सटीक उत्तर लिखने की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । उनको परीक्षा का भय दूर होगा । विषय में अधिकतम अंक लाने हेतु रूचि बढ़ेगी उसके अन्दर आत्म विश्वास जागेगा ।

उपरोक्त विषय सामग्री की सहायता से छात्रों के ज्ञान के प्रयोग और कुशलताओं में वृद्धि होगी । छात्र विषय सामग्री को प्रश्न–पत्र पद्धति के अनुसार समायोजित कर सफलता हेतु प्रयास कर सकेगें ।

साथ ही अध्यापक वर्ग उपरोक्त सामग्री की सहायता तथा स्वयं के ज्ञान कौशल, तथा सुझावों के माध्यम से शिक्षण को सरल, सुबोध, तथ्य परक बनाकर विद्यार्थियों की सफलता, श्रेष्ठक में वृद्धि कर गुरूतर दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे ।

प्रश्न पत्र का ब्लू प्रिंट

परीक्षा हायर सेकेण्डरी 2008–09

कक्षा– 12 वीं

समय : 3 घंटे **विषय–समाजशास्त्र** **पूर्णांकः 100**

इकाई	विषय वस्तु	इकाई पर आवंटित अंक	वसतुनिष्ठ प्रश्न	अंकवार प्रश्नों की संख्या			कुल प्रश्न
			1 अंक	4 अंक	5 अंक	6 अंक	
1.	एकता और विभिन्नता	08	03	–	01	–	01
2	समाज की संरचना	16	01	01	01	01	03
3	संस्थागत संरचना	24	04	01	02	01	04
4	वंचित समूह	08	04	01	–	–	01
5	भारतीय समाज के अध्ययन के उपागम	04	–	01	–	–	01
6	भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं प्रकृति तथा दिशा	08	03	–	01	–	01
7	राज्य तथा सामाजिक परिवर्तन	06	02	01	–	–	01
8	आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन	10	02	02	–	–	02
9	संस्कृति, शिक्षा और जनसाधारण माध्यम	08	03	–	01	–	01
10	मतभेद व सामाजिक परिवर्तन	08	03	–	01	–	01
	कुल योग	100	25	07	07	02	16+5=21

निर्देशः–1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न–पत्र के प्रारंभ में दिये जायेंगे ।

2. प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे । जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक शब्द में उत्तर, सही विकल्प, सत्य–असत्य तथा सही जोड़ियां के प्रश्न होगे ।
3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाये । यह विकल्प समान इकाई से तथा यथासंभव समान कठिनाई स्तर वाले होने चाहिए।
4. कठिनाई स्तर – 40 प्रतिशत सरल प्रश्न 45 प्रतिशत सामान्य प्रश्न 15 प्रतिशत कठिन प्रश्न ।

आदर्श प्रश्न–पत्र
विषय–समाजशास्त्र

समय : 3 घंटे | कक्षा – XII | पूर्णांक : 100

निर्देश :

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
2. प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिये 5 अंक निर्धारित हैं ।
3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प दिये गये हैं ।
4. प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं ।
5. प्रश्न क्रमांक 13 से 19 तक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं ।
6. प्रश्न क्रमांक 20 से 21 के लिए 6 अंक निर्धारित हैं ।

प्र.1 निम्नलिखित प्रश्नों के चार संभावित उत्तर दिए गए हैं । इनमें से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर–पुस्तिका में लिखिए – (5)

(1) भारत का नया संविधान लागू हुआ –

(1) सन् 1947 से (2) सन् 1950 से

(3) सन् 1951 से (4) सन् 1952 से ।

(2) भारत के किस प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है ?

(1) महाराष्ट्र (2) तमिलनाडु

(3) गुजरात (4) केरल

(3) दक्षिण भारत की टोडा जनजाति में प्रचलन है –

(1) एक विवाह का (2) बहुपत्नी विवाह का

(3) बहुपति विवाह का (4) हरण विवाह का

(4) निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है ?

(1) मध्यप्रदेश (2) छत्तीसगढ़

(3) नागालैण्ड (4) बिहार

(5) ''भारत में जाति तथा वर्ग'' पुस्तक के लेखक का नाम है –

(1) जी.एस. घुरये (2) के.एम. कापड़िया

(3) डॉ. भगवानदास (4) डी.पी. मुकर्जी

प्र.2 निम्नलिखित कथनों में कौन–सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य– (5)

(1) औद्योगीकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं होता ।

(2) राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों का उद्देश्य नागरिकों का नैतिक विकास करना है ।

(3) भूमि–सुधारकों के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय में एक नए मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ।

(4) जनसंचार के आधुनिक साधनों के बिना वैश्वीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं है ।

(5) सामाजिक आन्दोलन में दबाव का तत्व नहीं होता ।

प्र.3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए – (5)

(1) संयुक्त परिवार के मुखिया को ..... कहा जाता है ।

(2) समाजशास्त्रीय अर्थ में राज्य को एक राजनैतिक ..... कहा जाता है ।

(3) एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आरंभ में ..... की प्रक्रिया के नाम से सम्बोधित किया था ।

(4) हमारे देश का नाम 'भारत' महान सम्राट ..... के नाम पर पड़ा ।

(5) सन् 2001 में शिक्षा से सबंधित जो अभियान आरंभ किया गया, उसे ..... अभियान कहा जाता है ।

प्र.4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए – (5)

(1) आर्य समाज की स्थापना किसने की ?

(2) सन् 1979 में नियुक्त दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है ?

(3) भारत में नयी प्रौद्योगिकी के प्रभाव से कृषि उपज में तेजी से होने वाली वृद्धि को किस नाम से सम्बोधित किया जाता है?

(4) सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यवहार के नए ढंगों को किस नाम से सम्बोधित किया जाता है ?

(5) श्वेतवसन अपराध की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम क्या है ?

प्र.5 निम्नांकित तथ्यों के बीच सही जोड़े बनाइए – (5)

(1)	फखरूद्दीन अली अहमल	–	अर्बनाइजेशन एण्ड सोशल चेन्ज
(2)	एम.एस. ए. राव	–	भारत के राष्ट्रपति
(3)	महादेव गोविन्द रानाडे	–	इण्टरनेट
(4)	दूरसंचार	–	1956
(5)	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम	–	प्रार्थना समाज

प्र.6 जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है ? (4)

अथवा

जाति व्यवस्था से उत्पन्न किन्हीं चार सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए ।

प्र.7 संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए । (4)

अथवा

संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार में कोई चार अंतर लिखिए ।

प्र.8 भारत में अनुसूचित जनजातियों की मुख्य समस्याएँ क्या है ? (4)

अथवा

भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकार दी जाने कोई 4 सुविधाएं लिखिए ।

प्र.9 भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किन चार उपागमों को महत्वपूर्ण माना जाता है ? (4)

अथवा

उपागम का क्या अर्थ है ?

प्र.10 भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए । (4)

अथवा

सामाजिक विधानों के प्रमुख उद्देश्य क्या है ?

प्र.11 भूमि सुधार का क्या अर्थ है ? (4)

अथवा

भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या है ?

प्र.12 कुलीन किसान वर्ग की कोई चार विशेषताएँ लिखिए । (4)

अथवा

भारतीय समाज में दबाव समूह की प्रमुख चार विशेषताएं लिखिए ।

प्र.13 भारतीय समाज की विविधता के कारणों को स्पष्ट कीजिए । (5)

अथवा

भारतीय समाज की विभिन्नता में एकता से संबंधित प्रमुाख तत्वों की विवेचना कीजिए।

प्र.14 भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए । (5)

अथवा

जनांकिकी का अर्थ लिखिए , जनांकिकी की तीन मुख्य शाखाएं कौन सी हैं ?

प्र.15 हिन्दू धर्म के प्रमुख सिद्धान्तों को स्पष्ट कीजिए । (5)

अथवा

बौद्ध धर्म के सुधारवाद का वर्णन कीजिए ।

प्र.16 भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्याख्या कीजिए । (5)

अथवा

स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए ।

प्र.17 औद्योगिकीकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए । भारतीय समाज को औद्योगिकीकरण ने किस तरह प्रभावित किया है ?

(5)

अथवा

संस्कृतिकरण की अवधारणा एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए ।

प्र.18 जन संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए सांस्कृतिक परिवर्तन में जनसंचार की भूमिका बताइए । (5)

अथवा

जन संचार के साधनों से आप क्या समझते हैं? जनसंचार के प्रमुख साधनों पर प्रकाश डालिए ।

प्र.19 मतभेद एवं सामाजिक परिवर्तन के संबधं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । (5)

अथवा

सामाजिक विचलन से आप क्या समझते है ? इसके कारणों की विवेचना कीजिए ।

प्र.20 ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए । (6)

अथवा

नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं ? ग्रामीण नगरीय विभाजन के आधार कौन–कौन से हैं ?

प्र.21 भारत में राज्य के सामने आज मुख्य चुनौतियाँ क्या है ? (6)

अथवा

राजनैतिक संस्था से आप क्या समझते हैं ? भारत में राज्य के विकास के प्रमुख स्तरों की विवेचना की विवेचना कीजिए ।

आदर्श उत्तर

विषय– समाजशास्त्र

कक्षा – 12वीं

उ.1 :–

(1) सन् 1950, (2) **केरल**

(3) **बहुपति विवाह का** (4) **मध्यप्रदेश**

(5) जी.एस. घुरये ।

उ. 2 :– (1) असत्य (2) असत्य (3) सत्य

(4) सत्य (5) असत्य

उ.3 :– (1) कर्ता (2) संस्था (3) ब्राह्मणीकरण

(4) भरत (5) सर्व शिक्षा

उ.4 (1) स्वामी दयानन्द (2) मण्डल आयोग

(3) हरितक्रांति (4) नवाचार (5) सदरलैण्ड

उ. 5:–

	क	ख
1.	फखरूद्दीन अली अहमद	भारत के राष्ट्रपति
2.	एम.एस. ए. राव	अर्बनाइजेशन एण्ड सोशल चेन्ज
3.	महादेव गोविन्द रानाडे	प्रार्थना समाज
4.	दूर संचार	इण्टरनेट
5.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम	1956

उ.–6 (1) जाति की सदस्यता जन्म पर आधरित होती है जबकि वर्ग की सदस्यता व्यक्ति की योग्यता और सम्पत्ति से संबंधित होती है ।

(2) वर्गो का विभाजन जातियों की तरह किसी निश्चित नियम पर आधारित नहीं होता ।

(3) जाति की सदस्यता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता लेकिन वर्गो की प्रकृति खुली हुई होती है ।

(4) जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है ।

अथवा

जाति व्यवस्था ने हमारे समाज में अनेक गंभीर समस्याएं पैदा की हैं जैसे – छुआछूत, सामाजिक आमानता, वैवाहिक कुप्रथाएं, स्त्रियों का शोषण, आर्थिक पिछड़ापन, जातिवाद, तथा राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएं ।

जाति व्यवस्था के कारण कर्मकारण्डों को पूरा करना, ऋण लेकर भी ब्राम्हण –भोज और जाति भोज कराना । अन्तविवाह के नियम के फलस्वरूप विवाह का क्षेत्र बहुत सीमित रह जाने से हमारे समाज में बाल–विवाह, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, और विधवा विवाह पर नियंत्रत जैसी समस्याएं पैदा होने लगी । यह व्यवस्था ामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के विरूद्व है ।

उ.7 :– संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताएँ :–

(1) **बड़ा आकार** :– एक संयुकत परिवार में तीन–चार पीढ़ियों तक के रक्त सबंधितयों और विवाह के द्वारा इसमें सम्मिलित होने वाले सदस्यों का समावेश होता है ।

(2) **सामान्य निवास** :– संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहते है । त्यौहार, उत्सवों और पूजा एक ही स्थान पर करके अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं ।

(3) **सामान्य रसोई** – केवल उसी परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं । सभी स्त्रियाँ भोजन बनाने में सहयोग करती है, रसोई का संचालन परिवार के मुख्या की पत्नी या सबसे वयोवृद्ध स्त्री द्वारा किया जाता है ।

(4) **कर्ता की प्रधानता** :– संयुक्त परिवार के मुखिया को कर्ता कहा जाता है । कर्ता परिवार की आय की व्यवस्था करता है, सभी सदस्यों को विभिन्न प्रकार के काम सौंपता है तथा अपने रीति–रिवाजों के अनुसार सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण लगता है ।

कर्ता की प्रधानता, आर्थिक स्थायित्व, परम्पराओं की प्रधानता, धार्मिक क्रियाओं में संयुक्त सहभाग, समाजवादी व्यवस्था आदि संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताएं है ।

अथवा

संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार में अंतर –

(1) संयुक्त परिवार में बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जबकि एकाकी परिवार में बच्चों के व्यक्तित्व पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है ।

(2) संयुक्त परिवार में माँ और बच्चों के संबंधों में घनिष्ठता रहती है जबकि एकाकी परिवार में पति और पत्नि के संबंधों में ।

(3) संयुक्त परिवार में अधिकार के आधार पर सदस्यों में एक संस्तरण पाया जाता है जबकि एकाकी परिवार में आयु एवं लिंग के आधार पर नहीं बल्कि समानता पर अधिक जोर दिया जाता है ।

(4) संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है जबकि एकाकी परिवार का आकार छोटा एवं सीमित होता है ।

उ.8 :– अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं :–

(1) **आर्थिक समस्या** :– जंगलों पर सरकार का आधिपत्य होने से अब ये जंगलों

पर अर्थोपार्जन नहीं कर सकते । इस प्रकार इनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई ।

(2) **दुर्गम निवास की समस्या** :– ये पहाड़ों एवं दुर्गम स्थानों पर रहते हैं । अतः इनसे सम्पर्क करना कठिन कार्य है । इससे ये और पिछड़ गए ।

(3) **सामाजिक समस्याएँ** :– सभ्य समाज में सम्पर्क न होने के कारण इनमें बाल विवाह, कन्या मूल्य, दहेज, वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है ।

(4) **राजनीतिक समस्याएँ** :– राजनैतिक क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों की समस्याओं का रूप बहुत गंभीर रहा । इन जातियों को शासन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओ के लिए नौकरी पाने के अवसर बहुत नाममात्र के मिलते हैं ।

अथवा

भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं :'

(1) संविधान के अनुच्छेद 46 के द्वारा अनुसूचित जातियों को सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा देने के लिए अनेक प्रावधान किये गए ।

(2) संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत से संबंधित किसी भी तरह के व्यवहार को समाप्त कर दिया गया है ।

(3) संविधान के अनुच्छेंद 335 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में 15 प्रतिशत स्थान और सीधी भर्ती में 16.66 प्रतिशत स्थान प्रतिभागियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है ।

(4) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सुरक्षा एवं हितों की रक्षा के मूल्यांकन के लिए एक अलग विभाग की रचना की गई है ।

उ. 9 :– भारतीय समाज के अध्ययन के लिए योगेन्द्र सिंह ने चार उपागमों को महत्वपूर्ण माना है :–

(1) **भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागम** :– यह उपागम भारतीय समाज से संबंधित

https://www.freshersnow.com/board-model-question-papers/

प्राणणिक ग्रन्थो, सांस्कृतिक प्रतीकों , भाषा विज्ञान तथा सामाजिक संस्थाओं के आधार पर मानव व्यवहारों और सामाजिक संबंधों की विवेचना करना है ।

(2) **सांस्कृतिक उपागम** :– इस उपागम में सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठन की तुलना में किसी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर उसकी संरचना को स्पष्ट किया जाता है ।

(3) **संरचनात्मक उपागम** :– यह उपागम सांस्कृतिक विशेषताओं की तुलना में समाज के ढ़ाचे का निर्माण करने वाली इकाईयों का अध्ययन करने वाले तथ्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ।

(4) **ऐतिहासिक उपागम** :– यह अध्ययन का वह तरीका है जो किसी समाज की वर्तमान सामाजिक सरंचना की तुलना में ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर अधिक बल देता है ।

अथवा

उपागम का अर्थ गोर्डन मार्शन के शब्दों में – ज्ञान की किसी शाखा से संबंधित अध्ययन के लिए हम एक विशेष संदर्भ में जिस दृष्टिकोण या पद्धति का उपयोग करते हैं उसी को अध्ययन का उपागम कहते हैं।''

उपागम एक ऐसा तरीका या मार्ग है जिसके द्वारा किसी विशेष सामाजिक धटना, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, को देखने और उसकी विवेचना करने का प्रयत्न किया जाता है । समान शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्ययन के सभी दृष्टिकोण या ढंग को हम अध्ययन का उपागम कहते हैं उपागम अध्ययन का वह तरीका है या दृष्टिकोण है जिसके आधार पर किसी विशेष सामाजिक तत्व की विवेचना की जाती है । प्रत्येक उपागम कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है । विभिन्न उपागमों की प्रकृति एक दूसरे से इसलिए भिन्न होती है कि उनसे संबंधित अवधारणाएं और अध्ययन की प्रविधियाँ अलग अलग होती है ।

उ.10 :–

(1) **समानता का अधिकार** :– संविधान के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कानून के सामने सभी लोग समान है । उनके बीच धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

(2) **स्वतंत्रता का अधिकार** :– अपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करना, अपनी कोई भी उपयोगी संस्था बनाने का अधिकार देश के किसी भी हिस्से में आने–जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, करने की स्वतंत्रता हे ।

(3) **शोषण से रक्षा का अधिकार** :– यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति से बेगार नहीं ली जा सकती । बाल, श्रमिकों का शोषण नहीं किया जा सकता।

(4) **धार्मिक स्वतंता का अधिकार** :– प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता है, उसे अपने धार्मिक आयोजनों से नहीं रोका जा सकता ।

(5) **संस्कृति और शिक्षा का अधिकार** :– देश के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता है ।

अथवा

सामाजिक विधानों के प्रमुख उद्देश्य :–

(1) **सामाजिक नियंत्रण** – सामाजिक नियंत्रणों की व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाना है ।

(2) **सामाजिक न्याय** :– समाज में जाति, लिंग और धर्म से संबंधित भेदभाव को दूर, करके सभी को विकास के समान अवसर दिए जाएँ । सभी वर्गो के साथ न्याय करना और दुर्बल वर्गो की दशा में सुधार करना है ।

(3) **सामाजिक जागरूकता** :– भारतीय समाज में स्मृतिकाल से लेकर स्वतंता से पहले तक रूढ़ियों , कुरीतियों, अंधविश्वासों और बुढ़िया पुराण में इतनी वृद्धि होती रही है कि पूरा समाज जड़ और विवेकशून्य हो गया । इनमें सामाजिक जागरूकता पैदा करना है ।

(4) **सामाजिक परिवर्तन** :– सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, समाज कल्याण तथा नियोजना के वर्तमान युग में हमारी आवश्यकताएं, पूरी तरह बदल चुकी हैं । इस दशा में समाज को एक नया रूप देना चाहिए ।

उ. 11 भूमि सुधार का अर्थः– भूमि का न्यायपूर्ण वितरण और कृषि भूमि से संबंधित व्यवहारिक नीतियाँ भूमि सुधार के सबसे सरल अर्थ को स्पष्ट करती है । अनेक लेखक ये मानते हैं कि भूमि सुधार का अर्थ उन सभी प्रयत्नों से है जिनके द्वारा पूरे कृषि–संगठन में सुधार किया जाता है ।

भूमि सुधार का तात्पर्य कृषि भूमि की एक ऐसी व्यवस्था करना है जिससे छोटे और भूमिहीन किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके । संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि सुधार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भूमि सुधार एक ऐसा कार्यक्रम है जो कृषि संरचना के दोषों से पैदा होने वाले आर्थिक और सामाजिक विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए बनाया जाता है ।

अथवा

भूमि सुधार के उद्देश्य :–

1. समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर कृषि व्यवस्था का पुर्नगठन करना ।
2. उपनिवेशवादी शोषण को दूर करना ।
3. कृषि बिचोलियों का उन्मोलन करके कृषकों को अपनी भूमि पर स्वतंत्र अधिकार देना।
4. कृषि उत्पादन को बढ़ाना।
5. ग्रामीणों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देना ।

उ. 12

(1) जो परम्परागत रूप से किसान नहीं थे, जो सेना से रिटायर हुए थे, अथवा जिन्होंने

अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर खेती को आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद समझना शुरू कर दिया, इनमें सभी तरह की जातियों के लोग सम्मलित है इससे कृषकों का जो नया वर्ग आया उसी को हम कुलीन किसान वर्ग कहते है ।

(2) समय–समय पर कृषि विकास अधिकारियों से मिलकर खेती की जानकारियां लेना । धीरे–धीरे ऐसे किसान नई जमीने खरीदकर अपनी कृषि बढ़ाने लगते हैं ।

(3) कुलीन किसान वर्ग गांव की गुटबंधी से अपने आपको अलग रखते हैं ।

(4) कुलीन किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने खेती के परम्पागत रूप को बदलने में उपयोगी योगदान किया है ।

अथवा

(1) दबाव समूह ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य किसी विशेष लक्ष्य या स्वार्थ को लेकर सरकार को प्रभवित करना होता है ।

(2) दबाव समूह का एक औपचारिक संगठन होता है । यह श्रमिकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि किसी से भी संबंधित हो सकता है ।

(3) एक दबाव समूह के सदस्यों के बीच जागरूकता के संबंध होते है, यद्यपि उनके बीच प्रत्यक्ष और निकटता के संबंध होना जरूरी नहीं होता ।

(4) सामान्यतया दबाव समूहों की मनोवृत्ति राजनैतिक रूप से तटस्थ रहने की होती है। यदि यह राजनीति में सहभाग करते भी है तो केवल अप्रत्यक्ष रूप से उदाहरण के लिए, उद्योगपति वर्ग एक दबाव समूह है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं होता ।

उ.13 **भारतीय समाज की विविधता के कारण –**

भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधताओं के तीन प्रमुख कारण है :–

1. **भारतीय समाज की संरचना से संबंधित परिस्थितियाँ** :– प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मो और जातियों वाले समूहों का समावेश होता रहा जिसके कारण भारत में एक ऐसी सामाजिक सरंचना विकसित नहीं हो सकी जिसमें सभी को एक समान स्थान मिल पाता । विभिन्न समूहों में सामाजिक असमानताएं प्राचीन भारतीय धर्म का अभिन्न अंग बनी रहीं । इसके फलस्वरूप अलग–अलग क्षेत्रों

और जातियों के बीच तरह–तरह के तनाव पैदा होते रहे हैं । आजादी के बाद सभी धर्मो, जातियों और जातियों के लोगों को को समानता का अधिकार मिलने से उनमे एक नई जागरूकता पैदा हुई । इससे क्षेत्रीय भाषायी और जातिगत आधार पर अनेक आन्दोलन होना प्रारंभ हुए । ऐसे सभी आन्दोलनों ने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने में योगदान दिया।

2. **राजनीतिक परिस्थितियाँ** :– भारत आज एक धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रित और समतावादी समाज है । इसके बावजूद कुछ विशेष राजनीतिक स्वार्थो के कारण यहां सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नताओं में वृद्धि होने लगी है । स्वतंत्रता के तुरन्त बाद भाषायी एवं क्षेत्रीय विवाद पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गए । इससे एक ओर क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ने लगा तो दूसरी ओर अधिक से अधिक अधिकारों को पाने के लिए आंदोलन होने लगे । ये आन्दोलन भारतीय समाज की विविधता को बढ़ाने में सहायक हुए ।

3. **पारिस्थितिकीयकरण** :– भारत में पारिस्थितिकी संबंधी कारण भी समाज में विविधता को बढ़ाने का योगदान देते हैं । जो इस प्रकार है :–

   - भारत में ग्रामीण एव नगरीय जीवन की असमानताऐं सामाजिक सांस्कृतिक विविधिता का मुख्य कारण हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए भारी राशि व्यय करने के बाद भी ग्रामीणों को वे सुविधाएं नहीं मिल पातीं जो नगर में रहने वालों को प्राप्त होती है ।
   - तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक नहीं लग पाना भी एक कारण है जो सामाजिक विविधता के लिए उत्तरदायी है ।
   - देश में फैली व्यापक निरक्षरता भी समाज में विविधता पेदा करती है । पिछड़ी और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की आज भी बहुत कमी है । इस कमी के कारण लोग यह भूल जाते हैं कि राष्ट्र का हित उनके धर्म, सम्प्रदाय, जाति अथवा क्षेत्र से कहीं ऊपर है ।

अथवा

भारतीय समाज की ''विभिन्नता में एकता'' के प्रमुख तत्वों की विवेचना –

अपने प्राचीन इतिहास, उदार विचारों और समन्वयकारी संस्कृति के कारण भारत पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक अनुपम समाज है । अनेक विभन्नताओं के बाद भी प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक भारत तक के इतिहास में हमें एक अनुपम एकता देखने को मिलती है जो इस प्रकार है :–

प्राचीन भारत में एकता के तत्व :– यदि हम प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति को देखें तो उसमें ऐसे बहुत से तत्व या विशेषताएं हैं जो यहां की मौलिक एकता को प्रकट करते है । इनमें से कुछ निम्नांकित है :–

विभिन्न धार्मिक केन्द्र,
विभिन्न धार्मिक ग्रंथ ,
कर्मफल की भावना,
सामाजिक रीति रिवाजश
धार्मिक और सामाजिक त्यौहार,
अध्यात्मवाद,
जजमानी व्यवस्था,
संयुक्त परिवार व्यवस्था,

इन सभी तत्वों ने सामाजिक एकता को बढ़ाने में योगदान दिया ।

मध्यकालीन भारत में एकता के तत्व :– 12 वीं से 17 वीं शताब्दी तक के समय को मध्यकाल माना जाता है । इस समय अनेक यूरोपीय देशों में साम्प्रदायिक संघर्ष, वर्ग विभेद, धार्मिक अंधविश्वास आदि परिस्थितियां भी तब भी भारत में ऐसी अनेक विशेषताएँ जो भारतीय समाज की विभिन्नता में एकता का प्रोत्साहन प्रदान करती थीं ।

भारतीय संस्कृति की उदारता,
धार्मिक समन्वय,
भक्ति आंदोलन,
भवन निर्माण व्यवस्था ,
भाषीय मिश्रण,
चित्रकला,

आदि एकता को बढ़ाने वाले प्रमुख तत्व सिद्ध हुए ।

ब्रिटिश कालीन भारत में विभिन्नता में एकता – ब्रिटिश काल में नई शिक्षा व्यवस्था से पैदा होने वाली जागरूकता, समाज सुधार आंदोलन तथा राष्ट्रीय स्वतंतत्रा आंदोलन ने इस एकता में योगदान दिया ।

स्वतंत्र भारत में विभिन्नता में एकता :– स्वतंत्र भारत में विभिन्नता में एकता के प्रमुख आधार है :–

धर्मनिरपेक्षता , स्वतंतत्रा और समानता का अधिकार,

क्षेत्रीय असमानताओं में कमी,

लोकतांत्रिक व्यचवस्थायें सभी वर्गो की साझेदारी ,

वर्तमान न्यायपालिका , संचार और परिवार के साधन,

सभी तरह की सेवाओं में विभिन्न धर्मो, क्षेत्रों और जातियों के लोगों का योगदान।

उ.14 **भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण :**

भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इससे पैदा होने वाली दशाओं के कई कारण है जैसे –

1. अशिक्षा 2. निम्न जीवन स्तर 3. बाल विवाह की प्रथा
4. संयुक्त परिवार व्यवस्था 5. भाग्य में विश्वास 6. जन्म और मृत्युदर का असंतुलन 7. बहुपत्नी विवाह का प्रचलन 8. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था ।

(प्रत्यके बिन्दु पर संक्षिप्त वर्णन अपेक्षित है)

अथवा

जनांकिकी का अर्थ :– जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन् 1855 में **गुइलाई** ने किया । शाब्दिक रूप से जनांकिकी वह विज्ञान है, जो जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को विवरण के रूप में स्पष्ट करता है ।

ग्रेवनिक के शब्दों में '' जनांकिकी उन तथ्यों का अध्ययन है, जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जेसे जन्म–दर मृत्यु–दर , प्रवासीय विशेषताओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है ।

जनांकिकी की तीन मुख्य शाखाएँ निम्नलिखित है :–

1. जनांकिकीय संरचना 2. जनांकिकीय प्रक्रियाएं 3. सामाजिक जनांकिकी

जनांकिकीय संरचना :– इसके अन्तर्गत किसी समाज में जनसंख्या के आकार,

क्षेत्रीय जनसंख्या की विशेषताओं, स्त्री पुरूषों का अनुपात जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है ।

जनांकिकीय प्रक्रियाएँ :' उन विशेषताओं को स्पष्ट करती हैं, जिनसे जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन पैदा होता है । जन्म–दर, मृत्युदर, प्रवास संबंधी विशेषताएं इसी प्रकार की दशाएँ हैं ।

सामाजिक जनांकिकी :– यह बताती है कि जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं ।

उ. 15 **हिन्दू धर्म के प्रमुख सिद्धान्त** :– धर्म जीवन की एक विधि होने के कारण इसका उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास करना है । इसके लिए हिन्दू धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित है :–

1. **पंच ऋण** :– हिन्दू धर्म व्यक्तिवाद को महत्व न देकर सामूहिकता को महत्व देता है। हिन्दू धर्म में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर पांच तरह के ऋण होते हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और जीव ऋण । इन ऋणों को चुकाने के लिए हम जो कर्तव्य करते हैं, उसी को तप या यज्ञ कहते हैं ।

2. **पुरूषार्थ** :– हिन्दू धर्म में व्यक्ति के सभी कर्त्तव्यों को चार भागों में विभाजित किया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । इन्ही चारों को पुरूषार्थ कहा जाता है ।

3. **कर्म का सिद्धान्त** :– यह सिद्धान्त बताता है कि व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह पुरूषार्थ से संबंधित अपने सभी कर्तव्यों का पालन निःस्वार्थ भाव से करे । व्यक्ति को मिलने वाले सभी तरह के सुख और दुख सफलता और असफलता उसके कर्मो का ही फल होते हैं ।

4. **आत्मा की अमरता** :–' हिन्दू धर्म के अनुसार शरीर नाशवान होता है किन्तु आत्मा अमर होती है । आतमा इश्वरी शक्ति का ही अंश है । जो व्यक्ति आत्मा के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं वहीं ज्ञानी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ।

5. **अध्यात्मवाद** :– यह हिन्दू धर्म का एक मौलिक सिद्धान्त है । अध्यात्मवाद का तात्पर्य सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर साधु सन्सासी बन जाने से नहीं है बल्कि इसके

अनुसार सम्पूर्ण जगत ईश्वर की माया है । जो व्यक्ति जितना अधिक सच बोलने वाला, सच्चरित्र, दयावान, क्षमाशील और अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाला होता है, वह उतना ही आध्यात्मिक होता है ।

अथवा

बौद्ध धर्म का सुधारवाद :– गौतम बुद्ध द्वारा विकसित बौद्ध धर्म भारतीय मूल का एक धर्म है। इसके द्वारा हिन्दू धर्म में पैदा होने वाली उस समय की बुराईयों को दूर करके सभी वर्गो और जातियों के लोगों से समानता का व्यवहार करना और उन्हें समान धार्मिक अधिकार देने का प्रयत्न किया गया । बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि कोई व्यक्ति जटा रखने अथवा धर्म से ब्राम्हण नहीं होता बल्कि ब्राम्हण वह है जो सत्यता और परिवत्रता का आचरण करता है ।

हिन्दू धर्म की वैदिक रीति में जब बलिप्रथा बढ़ने लगी तो बौद्ध धर्म ने सबसे पहले लोगों को अहिंसा का संदेश दिया । बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अंध विश्वास और बेकार के कर्मकाण्ड हमारे अज्ञान को बढ़ाते हैं । अंध विश्वासों से ही अन्याय संघर्षो और अपराधों में वृद्धि होती है । जरूरी यह है कि हम रोगी, वृद्ध और दुखी लोगों की सेवा करें । इस तरह बौद्ध ने को मानव सेवा को एक साधन के रूप में ग्रहण करने पर बल दिया गया ।

इस धर्म की समतावादी भावना इस बात से भी स्पष्ट होती है कि बौद्ध विहारों और बौद्ध संघों में सभी जातियों और वर्णो के लोगों को हिस्सा लेने की स्वतंत्रता दी गई । गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म को एक सुधारवादी धर्म माना जाता है।

उ. 16. भारत में शिक्षा के विकास के लिए समय–समय पर अनेक आयोगों की स्थापना हुई जिनकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण हुआ। इस संबंध में सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । इसका उद्देश्य शिक्षा के परम्परागत स्वरूप को बदलकर शिक्षा को सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना, वैज्ञानिक ज्ञान और व्यवायिक विकास का माध्यम बनाना था।'

सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय के साथ सभी को विकास के सामन अवसर मिल सकें, छात्रों को अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति जागरूक बनाना, अपनी क्षमताओं के प्रति आत्म विश्वास पेदा करना, अध्यापकों की मनोवृत्यिों तथा व्यवहारों में परिवर्तन करके उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करना आदि को समाहित किया गया ।

इस शिक्षा नीति के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय को कम करके प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक व्यय किया गया ।

सन् 2001 में सर्वशिक्षा अभियान के रूप में शिक्षा की नई नीति घोषित की गई । सर्वशिक्षा अभियान योजना का लक्ष्य यह रखा गया कि सन् 2007 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे 05 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें । साथ ही सन् 2010 तक इस आयु वर्ग के सभी बच्चे कक्षा 8 तक की स्कूली शिक्षा पूरी करें । इस शिक्षा के लिए लड़के और लड़कियों की शिक्षा को समान महत्व दिया गया । निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की विशेष सुविधाएं देने पर जोर दिया गया । यह तय किया गया कि किसी भी बच्चे को स्कूल जाने के लिए एक किलोमीटर से अधिक दूर न जाना पड़े । बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई । पुराने स्कूलों के सुधार पर विशेष जोर दिया गया जिससे, बच्चों की संख्या बढ़ने पर स्कूल में उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें । इस नीति में शिक्षा को बच्चों के स्वास्थ्य से भी जोड़ने का प्रयत्न किया गया है ।

सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के लिए सभी राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता दी गई तथा क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया गया है । इसके बाद भी अनेक कठिनाईयों के कारण इस बात की संभावना कम दिखाई देती है कि इस अभियान के द्वारा सन् 2010 तक देश के सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने लगेंगे ।

अथवा

स्वतंत्र भारत में शिक्षा की समस्याएँ :– अनेक नीतियों, घोषणाओं और कार्यक्रमों के बाद भी हमारे समाज में शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों को पूरा कर पान सभव नहीं

हो सका। इसका मुख्य कारण शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याएँ है जैसे – शिक्षा से उत्पन्न सामाजिक असमनाताएँ 2. प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएँ 3 शिक्षा में नियोजन की कमी 4. शिक्षा का राजनीति करण 5. व्यवसायिक शिक्षा की कमी 6. दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली इत्यादि (इनमें से कम से कम पांच बिन्दुओं पर संक्षिप्त वर्णन अपेक्षित है)

उ. 17 **औद्योगिकीकरण का अर्थ** – औद्योगिकीरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । मूलरूप से औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है यद्यपि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों के कारण इसे एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है ।

क्लिवर्ट मूरे के अनुसार :– औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी वस्तुओं का अधिक से अधिक उतपादन करके लोगों की योग्यता और सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है ।

भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव – औद्योगिकीकरण के द्वारा भारतीय समाज की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । हमारे घरेलू जीवन से लेकर बाहरी दुनिया तक तथा खेत और खलिहानों से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक जवीन का कोई कार्यक्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें औद्योगिकीकरण का प्रभाव न पड़ा हो । औद्योगिकीकरण के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैः–'

1. सामाजिक संरचना में परिवर्तन
2. आर्थिक जीवन में परिवर्तन
3. धार्मिक जीवन में परिवर्तन
4. ग्रामीण जीवन में परिवर्तन ।

(प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन अपेक्षित है ।)

अथवा

संस्कृतिकरण की अवधारण – श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत निम्न जातियाँ उच्च अथवा प्रभावशाली जातियों की

सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों को अपना कर जाति संरचना में अपनी प्रस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती हैं । इस प्रकार संस्कृतिकरण का आदर्श कोई भी प्रभु जाति हो सकती है । संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाली दशाओं में तीर्थस्थान यातायात व संचार के साधन , पश्चिमी शिक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, निम्न जातियों के विशेषाधिकार, औद्योगिकीकरण नगरीकरण तथा समाज सुधार आंदोलन आदि प्रमुख हैं ।

संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएँ :–

1. संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जो निम्न जातियों की परम्परागत सामाजिक प्रस्थिति में होने वाले परिवर्तन और सुधार को स्पष्ट करती है किन्तु यह प्रक्रिया स्वयं सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं लाती ।
2. संस्कृतिकरण का सम्बन्ध निम्न जातियों द्वारा किसी विशेष जाति अथवा समूह की आर्थिक या राजनैतिक विशेषताओं को ग्रहण करने से नहीं है । यह वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत निम्न जातियों द्वारा उन परम्पराओं का अनुकरण किया जाने लगता है जिनका प्रचलन कुछ समय पहले तक केवल उच्च जातियों में था जैसे जनेऊ धारण करना, कर्मकाण्डों के अनुसार संस्कारों को पूरा करना, तीर्थ यात्राएँ करना तथा परम्परागत ढंग से त्यौहारों तथा व्रतों आदि को पूरा करना इसी तरह के आचरण हैं ।
3. संस्कृतिकरण का अर्थ केवल ब्राह्मण जाति के व्यवहारों को ग्रहण करना नहीं है। संस्कृतिकरण का आदर्श प्रभु जाति अथवा प्रभावशाली जाति ही होती है ।
4. संस्कृतिकरण का संबंध एक बड़े समूह द्वारा उच्च या प्रभु जाति की सांस्कृतिक विशेषतायों को ग्रहण करने से है ।
5. वर्तमान समय में संस्कृतिकरण एवं असंस्कृतिकरण की प्रक्रियाएँ साथ–साथ देखने को मिलती हैं ।
6. संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नई नहीं है बल्कि यह सदैव चलती रही है । वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक जातियाँ अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करती रही हैं ।

उ.18

जन संचार का अर्थ – जनसंचार वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विचारों को अनेक साधनों द्वारा किसी बड़े समुदाय तक पहुंचाया जाता है । इसके अन्तर्गत मुद्रित संचार, दृश्य–श्रव्य संचार तथा विद्युत संचार सम्मिलित हैं । समाचार–पत्र, विभिन्न पत्रिकाएँ टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर, टी.वी., रेडियो आदि जन संचार के प्रमुख साधन हैं । वर्तमान युग में जनसंचार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक प्रमुख आधार है । सांस्कृतिक परिवर्तन का एक प्रमुख आधार है ।

सांस्कृतिक परिवर्तन में जन संचार की भूमिका :– भारत में एक लम्बे समय तक राजशाही और विदेशी शासन के बाद जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई तब लोगों के परम्परागत व्यवहारों और विश्वासों में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया । यहीं पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में जन संचार की भूमिका की आवश्यकता महसूस हुई ।

जनसंचार के साधनों से आज भारतीय समाज में लोगों के परम्परागत विचारों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है । आधुनिककरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती जा रही है । सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विभेदों की जगह सामाजिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ी है । सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समाज सुधार को प्रोत्साहन देने में जन संचार के साधनों का विशेष योगदान है ।

जनसंचार से नियेाजित परिवर्तनों को बल मिला । लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाने में भी इन साधनों ने योगदान किया है । जनसंचार वैश्वीकरण की प्रक्रिया मे सहायक है । मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम भी सांस्कृतिक परिवर्तन प्रमुख आधार है ।

अथवा

जन संचार के साधन – जन संचार के विभिन्न साधनों का कार्य देश के अलग–अलग हिस्सों में घटित होने वाली घटनाओं, राजनेतिक गतिविधियों, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, तरह–तरह की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं, विकास कार्यक्रमों

एवं विभिन्न वर्गो की भूमिकाओं की जानकारी देने के साथ जन साधारण को मनोरंजन की सुविधाएं देना है । विभिन्न सामचार पत्र और पत्रिकाएँ लोगों में अपने कैरियर, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के प्रति चेतना भी पैदा करते हैं । रेडियो एवं टी.वी. द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे जीवन की नरीसता को कम किया जा सके । इन सभी साधनों का वास्तविक उद्देश्य समाज में उपयेागी परिवर्तन लाना होता है ।

जन संचार के प्रमुख साधन निम्नलिखित है –

1. टेलीविजन 2. रडियो 3. सामचार पत्र एवं पत्रिकाएं 4. चलचित्र 5. दूरसंचार 6. व्यंग्य चित्र इत्यादि ।

(इनका संक्षिप्त वर्णन अपेक्षित है)

उ.19 मतभेद, विरोध और आन्दोलन एक दूसरे से संबंधित दशाएँ हैं । किसी समाज में व्यवहार के प्रचलित ढंग और नियम जब उपयोगी नहीं रह जाते, तब उनके प्रति मतभेद की दशा पैदा होती है । धीरे–धीरे यह मतभेद विरोध का रूप लेने लगता है। किसी विषय पर लोगों का विरोध जब एक संगठित रूप ले लेता है जब वह एक आन्दोलन में बदल जाता है । सभी आन्दोलन एक विशेष सामाजिक संरचना और विभिन्न समूहों के पारस्परिक संबंधों को बदलकर सामाजिक परिवर्तन की दशा पैदा करते है । उदाहरण के लिए भारतीय समाज में जब छुआछूत, सतीप्रथा और विवाह संबंधी कुरीतियों को बहुत हानिकारक समझा जाने लगा तो काफी लोगों ने इसके विरोध में अपने विचार प्रकट करना आरंभ कर दिया । सामाजिक कुरीतियों के प्रति यह आरंभिक अवस्था थी। इस मतभेद के फलस्वरूप जब दलित जातियों और स्त्रियों में भी अपने अधिकारों प्रति चेतना पैदा होने लगी तब एक बड़े समुदाय द्वारा इस मतभेद को खुलेआम प्रकट किया जाने लगा इस प्रकार मतभेद की दशा में एक सार्वजनिक विरोध का रूप ले लिया जिसकी परिणति आगे चलकर विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों को रूप में हुई। इस प्रकार मतभेद – विरोध – आंदोलन – परिवर्तन, एक क्रमिक प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएँ हैं ।

अथवा

सामाजिक विचलन : सामाजिक विचलन वह दशा है जिसमें सामाजिक नियंत्रण के कमजोर पड़ जाने के कारण व्यक्ति, समाज के आदर्श नियमों और कानूनों का जानबूझ कर उल्लंघन करने लगते हैं । विभिन्न समाजों के नियमों के प्रकृति, एक दूसरे से भिन्न होती है । समय–समय पर इन नियमों में परिवर्तन भी होता रहता है, इसी कारण सामाजिक विलचन को को एक तुलनातमक दशा कहा जाता है। थामस हाब्स और सिंगमंड फ्रायड ने सबसे पहले विचलित व्यवहार के अर्थ को स्पष्ट किया – '' व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं और व्यक्ति पर समाज द्वारा लगाए जाने वाले नियंत्रण के बीच एक संघर्ष चलता रहता है । जब सामाजिक नियंत्रण, व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में आंशिक रूप से असफल हो जाता है, तब इसी दशा को हम सामाजिक विचलन कहते हैं ।

सामाजिक विचलन के कारण :–

1. समाजीकरण की कमी 2. दुर्बल स्वीकृतियाँ 3. कानूनों को सख्ती से लागू न किया जाना 4. भ्रान्त तर्को का प्रचलन 5. सामाजिक मापदण्डों की अनिश्चतता 6. कानूनों का भ्रष्ट प्रयोग 7. विचलित समूहों के संगठन ।
(इनका संक्षिप्त विवरण अपेक्षित है ।)

उ.20 ग्रामीण समुदाय – मैरिल तथा एलरिज के अनुसार ''ग्रामीण समुदाय यह है, जिसमें सभी लोग एक छोटे से केन्द्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा जिनके बीच सामान्य और प्राथमिक सम्बन्ध पाए जाते हैं । साधारणतया कृषक समुदाय को ही ग्रामीण समुदाय कहा जाता है किन्तु व्यवहारिक रूप से गांव में केवल खेती करने वाले लोग ही नहीं रहते बल्कि बहुत से व्यक्ति दस्तकारी, कुटीर उद्योगों और साधारण, श्रम के द्वारा भी आजीविका प्राप्त करते हैं । इसी आधार पर मैकाइवर ने लिखा है –– ग्रामीण समुदाय जीवन की एक विशेष विधि है । ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है :–

1. कृषि, मुख्य व्यवसाय 2. छोटा आकार 3. प्राकृतिक पर्यायवरण 4. परिवार, समाजीकरण का मुख्य आधार 5. सादा जीवन

(इनका का संक्षिप्त वर्णन अपेक्षित है)

अथवा

नगरीय समुदाय – नगर जीवन का एक विशेष ढंग हैं । नगरों का आकार एवं संरचना एक विशेष प्रकार की होती है । पुराने नगर चारों ओर से एक दीवार से धिरे रहते थे । नगर के केन्द्र में एक सार्वजनिक स्थान होता था जिसमें धार्मिक और सामाजिक उत्सवों के अवसर पर सभी नगरवासी एकत्र होते थे । जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न विद्वानों ने जनसंख्या के आकार एवं घनत्व के आधार पर इसे स्पष्ट किया है ।

1. बर्गेल के अनुसार नगर वह समुदाय है, जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं ।
2. क्वीन के अनुसार – नगर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा कुछ कानूनों के आधार पर नगर घोषित कर दिया जाता है ।

विभिन्न विद्वानो के कथनों से निष्कर्ष निकलता हे कि नगरीय समुदाय में हितप्रधान सम्बन्ध पाए जाते हैं जो लोगों की इच्छाओं और जरूरतों के अनुससार बदलते रहते हैं।

विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों के अनुसार ग्रामीण – नगरीय विभाजन के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं –

1. जनसंख्या की प्रकृति 2. सामाजिक संरचना 3. सामाजिक स्तरीकरण
4. सामाजिक संबंधों की प्रकृति 5. सामाजिक नियंत्रण

(प्रत्येक बिन्दु पर वर्णन अपेक्षित है)

उ. 21 भारत में आज अनेक आन्तरिक और बाहरी चुनोतियां राज्य के विकास में बाधक हो रही है ।

(1) **सामाजिक आन्दोलन** :– एम.एस. ए. राव ने अपनी पुस्तक 'भारत में सामाजिक आन्दोलन' में लिखा है, '' सामाजिक आन्दोलन समाज के किसी भाग द्वारा समाज

में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला संगठिन प्रयत्न हे ।'' हमारे समाज में समय–समय पर होने वाले आन्दोलनों में किसान आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन तथा पर्यावरण संबंधी आन्दोलन प्रमुख रहे हैं । ऐसे सभी आन्दोलन एक विशेष विचारधारा पर आधारित होते हैं तथा इनका उद्‌देश्य एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करना होता है । यह सच है कि विभिन्न प्रकार के आन्दोलन भारतीय राजनीति के सामने एक प्रमुख चुनौती है लेकिन इनसे हमारे देश में एक नयी जागरूकता भी पैदा हुई ।

(2) **दबाव समूह, हित समूह और संघवाद** :– दबाव समूह या हित समूह का अर्थ उन गुटों से होता है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए संगठित होते हैं । इनका उद्‌देश्य सरकार पर इस तरह का दबाव डालना होता है जिससे उनके हित अधिक से अधिक सुरक्षित रह सकें । बड़े–बड़े पूंजीपति अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता देकर उन पर अपना दबाव बनाए रखते हैं । यदि ऐसे राजनैतिक दल सत्ता में आ जाते हें तो यही दशा उनके लिए एक चुनौती बन जाती है ।

(3) **साम्प्रदायिकता :–**

भारत में साम्प्रदायिका का आरंभ ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अन्तर्गत किया । इसी के फलस्वरूप यहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक तनावों की समस्या ने गंभीर रूप लिया । स्वतंत्रता के बाद धर्म के आधार पर की जाने वाली राजनीति और दूषित धर्मनिरपेक्षता के कारण यह समस्या किसी न किसी रूप में बनी रही । साधारणतया साम्प्रदायिकता का मुख्य कारण कुछ अराजक तत्वों के ऐसे स्वार्थ हैं जिनके द्वारा वे अपनी राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं । कुछ समाजशास्त्रियों कि मानना है कि विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यकों के अनुचित तुष्टिकरण से इस समस्या को प्रोत्साहन मिला है ।

(4) **क्षेत्रवाद** : वर्तमान दशाओं में क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण के सामने एक प्रमुख चुनोती है । क्षेत्रवाद वह भावना है जो एक विशेष क्षेत्र के लोगों को प्रत्येक दशा में अपने क्षेत्र की संस्कृति, भाषा और संसाधनों के लिये सरकार पर दबाव डालने को प्रोत्साहन देती है । इसी दशा को हम संजातीयता की समस्या भी कहते हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्षेत्रीय सद्भाव एक आवश्यक शर्त है । अब सरकार द्वारा एक ऐसी नीति पर जोर देने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच सद्भाव बढ़ाकर इस समस्या का समाधार किया जा सके ।

(5) **जातिवाद** – के.एम. पणिक्कर ने लिखा हैं कि ''राजनीति की भाषा में अपनी जाति के प्रति निष्ठा की भावना ही जातिवाद है ।'' इसका अर्थ है कि जब विभिन्न जातियों के लोग केवल अपनी ही जाति के हितों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं तब इस दशा को हम जातिवाद कहते हैं ।

(6) **भ्रष्टाचार** :– आज हमारे देश में राजनेताओं , प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विभागों और व्यापारियों में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार की जड़े बहुत गहराई तक न पहुंच चुकी हो । यह दशा आज जनसाधारण के शोषण का प्रमुख कारण है ।

(7) **विदेशी कूटनीति** : अनेक देश यह नहीं चाहते कि भारत एक संगठित और शक्तिशाली राज्य बने । ऐसे देश तरह–तरह के गुप्त संगठनों के द्वारा भारत में हिंसा, आगजनी और आतंकवाद को प्रोत्साहन देकर राज्य को कमजोर बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं ।

अथवा

राजनैतिक संस्था का अभिप्राय – राजनैतिक संस्था का तात्पर्य उन सभी नियमों , व्यवस्थाओं और कार्यप्रणालियों से होता है, जो राज्य को एक विशेष रूप प्रदान करते हैं । इस प्रकार राज्य व्यवस्था, कानून सत्ता की प्रकृति, राजनैतिक दल तथा मताधिकार कुछ प्रमुख राजनैतक संस्थाएँ है ।

एक राजनैतिक संस्था के रूप में भारत में राज्य की प्रकृति के मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार हैं –

1. प्रभुसत्ता 2. संसदीय लोकतंत्र 3. विभिन्न राज्य सरकारों से बनने वाली संघीय सरंचना 4. पंचायती राज व्यवस्था के रूप में लोकतांत्रित विकेन्द्रीकरण 5 धर्म निरपेक्षता 6. न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित राज्य व्यवस्था 7. बहु–दलीय प्रणाली

(प्रत्येक बिन्दु का वर्णन अपेक्षित है)

——